न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

जवाहरमल आदि बनाम औमप्रकाश आदि

मु.न. 111/2024

19/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकील उभयपक्ष की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वकील उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना

1. जवाहरमल पुत्र मालाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नानगाला तन झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–वादीगण–

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी नानगाला तन झरिण्डा पटवार हल्का मोकलवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर। –प्रतिवादीगण–

मुकदमा नम्बर– 111/2024
दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)** सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री राजेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू एवं हाजरी श्री सुरेश शर्मा एडवोक़ेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।

निज................×........................मुबलिग...................×.......................बाबत.................×......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×....................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....................×.............................को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **दिनांक 19 माह 12 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना(सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:49:13 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।